न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/25/19	13.02.2018	16.04.2019

उनवान

1. हरफूल पुत्र नानगा जाति जाटव निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....वादीग

बनाम

1. देवीसहाय पुत्र छोटेलाल,
2. मनीष कुमार पुत्र सुरजमल,
3. रतीराम पुत्र छोटेलाल
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजमल
5. सतीश कुमार पुत्र सुरजमल
6. सुमरा पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासियान ग्राम गोहा तह0 रामगढ़ जिला अलवर।
..... प्रतिवादीगण
7. राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगढ जिला अलवर।
.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री राजकुमार यादव एडवोकेट –, वादीगण
2. श्री जगदीश थिरान एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.02, 234 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.46 हैक्ट0 व आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम गोह तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 233, 234 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 235 प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो दोनों आराजी की डोल से डोल मिली हुई है। वादीगण अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर काबिज है और प्रतिवादी अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर काबिज है परन्तु अब बतौर बदयान्ति प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 235 की आड में बिना विधिक प्रक्रिया अपना व कनर्वट कराये बगैर बेजा वादीगण की आराजी पर निर्माण करने को उतारू है जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण का वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वोह बेवास्ता व गैर काबिज शख्स है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वोह विवादित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.02, 234 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.46 हैक्ट0 व आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम गोह तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है में प्रतिवादीगण बेजा तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व कनर्वट कराये बगैर खसरा नम्बर 235 की आड में उपरोक्त आराजी पर कोई नींव आदि खोदकर निर्माण आदि न करे व वादी को उसकी आराजी से जबरन बेदखल न करे व अपना जबरन कब्जा न करे , मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद हेतु दिनांक 12.02.19 की घटना अंकित करते हुए असत्य, आधारहीन अभिवचन के आधार पर दायर किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ में स्थित आराजी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादीगण स्वयं उसकी खातेदरी की बाबत पाबन्द किया जाना किसी भी प्रचलित कानून में नही है अर्थात एक खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी की आराजी पर पाबन्द नही किया जा सकता है ऐसा अभिमत माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल अजमेर का विभिन्न नजीरों में रहा है। वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद सोची समझी सुनियोजित योजना योजना के तहत प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी की आराजी मुतनाजा से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की मंशा से दायर किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 233, 234 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 235 प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो दोनों आराजी की डोल से डोल मिली हुई है। वादीगण अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराज़ी पर काबिज है और प्रतिवादी अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर काबिज है परन्तु अब बतौर बदयान्ति प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 235 की आड में बिना विधिक प्रक्रिया अपना व कनर्वट

उप खण्ड अधिकारी

कायम बगैर बेजा वादीगण की आराजी पर निर्माण करने को उतारू है जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण का वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ में स्थित आराजी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादीगण स्वयं उसकी खातेदरी की बाबत पाबन्द किया जाना किसी भी प्रचलित कानून में नही है, ऐसा अभिमत माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल अजमेर का विभिन्न नजीरों में रहा है। अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्षकरान के विद्वान वकील की बहस पर मनन करने से विदित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 233, 234 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 235 प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो दोनों आराजी की डोल से डोल मिली हुई है। इसलिए उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 233 व 234 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ़ वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज है। तथा खसरा नम्बर 235 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ प्रतिवादीगण की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। इस कदर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेंगे, अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे। **इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/25/19	13.02.2018	16.04.2019

उनवान

1. हरफूल पुत्र नानगा जाति जाटव निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर।
.....वादीग

बनाम

1. देवीसहाय पुत्र छोटेलाल,
2. मनीष कुमार पुत्र सुरजमल,
3. रतीराम पुत्र छोटेलाल
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुरजमल
5. सतीश कुमार पुत्र सुरजमल
6. सुमरा पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासियान ग्राम गोहा तह0 रामगढ़ जिला अलवर।
..... प्रतिवादीगण
7. राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगढ जिला अलवर।
.....तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री राजकुमार यादव एडवोकेट – वादीगण
2. श्री जगदीश थिरान एडवोकेट – प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 233 व 234 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ़ वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज है। तथा खसरा नम्बर 235 वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ प्रतिवादीगण की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। इस कदर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेंगे, अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.04.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

16/4/19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)